



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश
(लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन)

नियम पुस्तिका

संविदा महिला पोषक प्रशिक्षक
(शिशु स्वास्थ्य पोषण कार्यक्रम) के चयन के लिये
(ऑनलाइन लिखित टेस्ट द्वारा)
वर्ष (2022-2023)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), मध्य प्रदेश, (शिशु स्वास्थ्य पोषण कार्यक्रम) के अन्तर्गत संविदा महिला पोषक प्रशिक्षक के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।

एनएचएम, म.प्र., संविदा महिला पोषक प्रशिक्षक के 18 संविदात्मक रिक्त पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से भरे जाने वाले पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यह अनुबंध 31 मार्च 2023 तक के लिए होगा, जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्ययोजनाओं में स्वीकृति अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा।

१. संविदा महिला पोषक प्रशिक्षक (शिशु स्वास्थ्य पोषण कार्यक्रम) पद का विवरण:

क्र	पद का नाम	पद का कोड	कुल सीटें	अनारक्षित (27%)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (10%)	अनुसूचित जनजाति (20%)	अनुसूचित जाती (16%)	ओबीसी (27%)	रिक्तियों में से मध्यप्रदेशकी मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या (6%)			
									वी एच	एच एच	ओ एच	एम डी
१.	संविदा महिला पोषक प्रशिक्षक	FFD-CHNP-MPNHM	18	06	01	03	03	5	-	-	01	-

- **OH:** लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, मुक्त बौनापन, एसिड अटेक पीडित मस्क्युलर डिस्ट्राफी
- **MD:** (ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बाहुविलांगता)
- निःशक्तजनों के लिये, **संविदा महिला पोषक प्रशिक्षक** के लिये **01** पद रिक्तियों में से उक्त पद निःशक्तजन के लिये आरक्षित है, जिस श्रेणी का निःशक्त इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ ओपन नियुक्तियों में सम्मिलित है।
- दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) के आधार पर 06 प्रतिशत का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

सामान्य निर्देशों, लिखित परीक्षा की तारीख और ऑनलाइन एडमिट कार्ड/ हॉल टिकट की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया <http://www.nhmmp.gov.in/> या www.sams.co.in पर जाएं।

आवेश ऑनलाइन जमा कनरे की शुरुआत 18/08/2022 को 12:01 AM से होगी।

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19/09/2022 को रात्रि 11:59 PM बजे है।

२. शैक्षिक, अनुभव और अन्य पात्रताएँ:

२.१ शैक्षिक:

बी.एस.सी. फूड एवं न्यूट्रिशन या बी.एस.सी. क्लीनिकल न्यूट्रिशन एवं डायटेटिक्स या बी.एस.सी. होम साईन्स (फूड एवं न्यूट्रिशन)।

२.२ अनुभव:

न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य अनुभव (शासकीय/ अशासकीय संस्था में न्यूट्रिशन कार्य का अनुभव।

आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा:

- हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची
- हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा की अंकसूची।
- संविदा महिला पोषक प्रशिक्षक पद हेतु- बी.एस.सी. फूड एवं न्यूट्रिशियन या बी.एस.सी. क्लीनिकल न्यूट्रिशियन एवं डायटेटिक्स या बी.एस.सी. होम साइन्स (फूड एवं न्यूट्रिशियन) की उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची।
- न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य अनुभव (शासकीय/ अशासकीय संस्था में न्यूट्रिशियन कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र।
- उपरोक्त दस्तावेजों में अगर पीछे के पन्नों में भी जानकारी अंकित हो तो उसे भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण-पत्र (जिस पद पर आरक्षण लागू हो)
- उपरोक्त समस्त दस्तावेज, आवेदक के पास आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना अनिवार्य है।
- आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के उपरान्त किसी भी दस्तावेज को स्वीकार्य नहीं किया जावेगा।
- उपरोक्त योग्यता के लिए केवल पूर्णकालिक पाठ्यक्रम (Full-Time-Course) पर विचार किया जायेगा।
- उपर्युक्त पद के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने के बाद के अनुभव (Post-Qualification Experience) पर विचार किया जाएगा।

२.३ योग्यता की गणना के लिये संदर्भ तिथि: ०१/०१, २०२२

२.४ अनुभव की गणना के लिये संदर्भ तिथि ०१/०८, २०२२ तक

३. *आयु सीमा: २१-४० वर्ष (* आयु गणना की संदर्भ तिथि: ०१/०१, २०२२)

अधिकतम आयु सीमा के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्र क्रमांक C 3-8/ 2016/ 1/ 3 दिनांक जुलाई 04, 2019 द्वारा एवं समय-समय पर जारी संसोधन लागू समझे जायेंगे।

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को अधिकतम ५ वर्ष की छूट दी जाएगी, उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिला, और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और अधिकतम आयु सीमा ऐसे उम्मीदवारों के लिए ४५ वर्ष की होगी, यदि वे मध्य प्रदेश के निवासी हैं।

स्पष्टीकरण: आयु-सीमा की गणना करते समय हाईस्कूल प्रमाण-पत्र (10वीं) या इसकी अंकसूची में जो जन्मतिथि अंकित होगी, उसे ही मान्य किया जावेगा। नोट- यदि उम्मीदवार के जन्मतिथि (Date of Birth) का उल्लेख उसके 10वीं प्रमाण पत्र में नहीं किया गया है, तो उम्मीदवार कृपया किसी भी वैध आयु प्रमाण पत्र को अपलोड करें, जो विशेष रूप से आयु प्रमाण के लिए जारी किया गया हो।

४. वेतन: चयन के बाद, उम्मीदवार को **संविदा महिला पोषक प्रशिक्षक** के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया जाएगा और उन्हें मासिक मानदेय प्रति माह **14,000/-** रुपये वेतन दिया जाएगा।

५. आरक्षण नियम:

५.१ मध्य प्रदेश राज्य आरक्षण नीति चयन और आयु छूट में लागू की जाएगी। इसलिए, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), ईडब्ल्यूएस, विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी), और आयु में छूट केवल मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के अधिवास पर लागू होगी।

५.२ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन के पात्र होंगे।

६. आवेदन प्रक्रिया:

- ६.१ उम्मीदवारों को **19/09/2022** की मध्यरात्रि ११:५९ बजे तक या उससे पहले **स्ट्रैटेजिक एलायंस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (सैमस)** के वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र (ओएएफ) को भरना और जमा करना होगा। किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किये गए आवेदन को वैध नहीं माना जाएगा;
- ६.२ उम्मीदवारों को आवेदन पत्र जमा करने से पहले निर्देशों और दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है;
- ६.३ आवेदकों को आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य जानकारी [*(आस्ट्रिक) से चिह्नित] प्रदान करना आवश्यक है;
- ६.४ आवेदन में अपूर्ण विवरण या हस्ताक्षर या सहायक दस्तावेजों के साथ तस्वीर के बिना प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया जाएगा;
- ६.५ आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विवरण सही तरीके से भरे गए हैं और समापन तिथि से पहले ऑनलाइन सफलतापूर्वक जमा किए गए हैं। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन पत्र पर आवेदक का स्टेट्स "सफलतापूर्वक सबमिट किया गया" है; आधे भरे हुए आवेदनों को अपूर्ण माना जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा;
- ६.६ पद के लिए उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन फॉर्म जमा नहीं कर सकता है। यदि उसकी उम्मीदवारी का पता नहीं लगाया गया है तो उसकी उम्मीदवारी को बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया जा सकता है;
- ६.७ एक बार ऑनलाइन फॉर्म जमा हो जाने के बाद किसी भी जानकारी में बदलाव या सुधार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, जाँच परिणाम के प्रकाशन के बाद, यदि जाँच परिणाम और उनकी स्थिति के बारे में कोई प्रश्न होगा तो उम्मीदवारों को उनके प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए **10 दिन (एनएचएम की मंजूरी के आधार पर)** दिए जाएंगे। जाँच समिति उसी के लिए बनाए गए ऑनलाइन मॉड्यूल पर प्रश्न की प्राप्ति के चार कार्यकारी दिवसों के भीतर उम्मीदवारों के प्रश्न का जवाब देगी। जाँच समिति के निष्कर्ष के आधार पर, उम्मीदवार की जाँच टिप्पणी बदल सकती है;
- ६.८ सुधार/ अवलोकन अवधि के बाद, जन्म तिथि, श्रेणी (जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ई.डब्ल्यू.एस, पी.डब्ल्यू.डी.) आदि में सुधार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके संबंध में कोई भी संचार मान्य नहीं होगा;
- ६.९ विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) के मामले में, आवेदकों को निम्नलिखित श्रेणियों में पंजीकरण करना होगा।
(क) **OH** (लोको मीटरडिसेबिलिटी सम्मिलित है जैसे सेरेब्रल पाल्सी कुष्ठ रोग मुक्त बौनापन एसिड अटैक पीडित मस्क्युलर डिस्ट्राफी)
(ख) विकलांग (दिव्यांग) हेतु आरक्षित पद के लिए जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता (दिव्यांग) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
(ग) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश अनुसार दिव्यांगज अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निशक्त:जनों के लिये निर्धारित मापदण्ड का पालन किया जावे।

७. चयन प्रक्रिया:

- ७.१ संविदा महिला पोषक प्रशिक्षक के चयन के लिए, **स्ट्रैटेजिक एलायंस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड(सैमस)** द्वारा **एमसीक्यू (MCQs)** आधारित ऑनलाइन लिखित परीक्षा (ओडब्ल्यूटी) का आयोजन किया जाएगा।
- ७.२ विभाग द्वारा अंतिम रूप प्रदान किये गए पाठ्यक्रम के आधार पर स्ट्रैटेजिक एलायंस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसएएमएस) के माध्यम से सीबीटी आधारित ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी;
- ७.३ परीक्षा केंद्र/ शहर: (१) भोपाल; (२) इंदौर (३) ग्वालियर (४) जबलपुर (५) रीवा (६) उज्जैन (७) सागर
- ७.४ उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के दौरान परीक्षा के लिए केंद्र की पसंद प्रदान कर सकते हैं। केंद्र का आवंटन निम्नलिखित पर आधारित होगा।
(क) केंद्र की कुल संख्या की उपलब्धता और उम्मीदवारों द्वारा प्रदान की गई केंद्र प्राथमिकताएं;
(ख) प्राथमिकताएं और उपलब्धता समाप्त हो जाने के बाद, इसे पहला आवेदन पहला आवंटन (एफएएफए) के आधार पर किया जाएगा।

७.५ ई-एडमिट कार्ड को एसएएमएस एवं एनएचएम, म.प्र. की आधिकारिक वेबसाइट www.sams.co.in और <http://www.nhmmp.gov.in/> पर से परीक्षा तिथि के सात (७) दिन पहले डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा तिथि की घोषणा एस.ए.एम.एस. एवं एन.एच.एम.,म.प्र. की आधिकारिक वेबसाइट पर होगी;

७.६ परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र में चार उत्तरों के विकल्पों के साथ १०० एमसीक्यू (MCQ) प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न १ अंक का होगा। कोई नेगेटिव अंकन नहीं होगा। चयन के लिए, ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त उम्मीदवार के अंकों को मेरिट रैंक उत्पन्न करने पर विचार किया जाएगा, जिसके आधार पर उम्मीदवार का चयन किया जाएगा;

७.७ ऑनलाइन लिखित टेस्ट परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक इस प्रकार होंगे **40% For UR/ EWS, 35% For OBC, and 30% For SC and ST** मेरिट रैंक का परिणाम और उम्मीदवार का चयन इस पर और राज्य आरक्षण नीति के आधार पर होगा।

७.८ उपरोक्त मानदंडों के अनुसार यदि उम्मीदवारों की आवश्यक संख्या कुल पदों की संख्या से कम हो जाती है, तो इस स्थिति में, मिशन निदेशक, एनएचएम, म.प्र. आवश्यक के रूप में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक को कम करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

दो उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति में, अवरोही क्रम में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वरीयता दी जाएगी:

(i) आयु में बड़े उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।

(ii) एक ही जन्मतिथि/ उम्र के अभ्यर्थी होने पर, संविदा महिला पोषक प्रशिक्षक के पद हेतु रखी गई शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता।

७.९ परीक्षा और चयन प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। किसी व्यक्ति द्वारा प्रक्रिया को अधिप्रभावी करके कोई भी लाभ देने की कोई संभावना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कोई भी लाभ प्राप्त करने के बारे में दावा करता है, तो यह व्यावहारिक नहीं है, और उम्मीदवारों को ऐसे झूठे दावों से सावधान रहना चाहिए।

७.१० उम्मीदवार को नियमों और चयन मानदंडों का अवलोकन करना चाहिए और पद के लिए आवेदन करने से पहले पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के चरणों के दौरान और/ या परिणाम की घोषणा के बाद अयोग्य पाया जाता है और उम्मीदवार द्वारा प्रदान किया गया विवरण गलत पाया जाता है, तो इस स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीदवारी प्रक्रिया में किसी भी बिंदु पर अयोग्य घोषित की जाएगी।

७.११ चयन प्राधिकरण द्वारा उम्मीदवार को परीक्षा / चयन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि किसी भी उम्मीदवार द्वारा या किसी भी उम्मीदवार के लिए या अन्य माध्यम से, किसी अन्य माध्यम से किसी अन्य माध्यम से चयन में समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया जात है।

७.१२ उम्मीदवार को नियमों और चयन मानदंडों का अवलोकन करना चाहिए और पद के लिए आवेदन करने से पहले पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के चरणों के दौरान और/या परिणाम की घोषणा के बाद अयोग्य पाया जाता है और उम्मीदवार द्वारा प्रदान किया गया विवरण गलत पाया जाता है, तो इस स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीदवारी प्रक्रिया में किसी भी बिंदु पर अयोग्य घोषित की जाएगी।

७.१३ उम्मीदवारों को परीक्षा से अयोग्य / निष्कासित कर दिया जाएगा, यदि वे परीक्षा में दुर्व्यवहार करते हैं और परीक्षा के दौरान शांति में बाधा खड़ी करने में शामिल होते हैं;

७.१४ यदि उम्मीदवार फर्जी दस्तावेज प्रदान करते हैं या उनके दस्तावेज बदले/रूपांतरित/जाली हैं, या उन्होंने कोई ठोस जानकारी छिपाई है, तो उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा;

७.१५ यदि उम्मीदवार परीक्षा के लिए किसी अभिप्रेरक का उपयोग करते हैं या करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा;

७.१६ कोई भी उम्मीदवार जिसके खिलाफ अदालत में आपराधिक मामला किया गया है या अदालत द्वारा दंडित किया गया है, उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा (पात्र नहीं होगा)।

6.16 निर्हता/अभ्यर्थिता रद्द करने का अधिकार :-

1. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी का सहयोग प्राप्त किया जाना।
2. प्रतिरूपण किया जाना।
3. किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया जाना।
4. कूटरचित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना।
5. रूपांतरित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना ।
6. किसी आवश्यक जानकारी का छिपाया जाना ।
7. अनुचित साधन का उपयोग किया जाना। (प्रयास किया जाना)
8. परीक्षा कक्ष में ड्यूटीरत स्टॉफ को कोई धमकी दी जाना।
9. परीक्षा कक्ष में ड्यूटीरत स्टॉफ द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लंघन किया जाना।
10. पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो।
11. महिला अभ्यर्थी जिसका एक से अधिक जीवित पति हो।
12. कोई अभ्यर्थी जिसे 26 जनवरी 2001 के पश्चात तीसरी जीवित संतान हुई हो।
13. अभ्यर्थी जिस पर आपराधिक मामला लंबित है या दण्डित किया गया हो।

6. स्थान आवंटन

6.1 मेरिट रैंक और उम्मीदवारों की वरीयताओं के आधार पर आवंटित किया जाएगा।

6.2 उम्मीदवार के उत्तीर्ण होने के उपरान्त पदों की पूर्ति हेतु च्वाइस फिलिंग की कार्यवाही पृथक से की जावेगी, पद के लिए उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन फॉर्म जमा नहीं कर सकता है। यदि उसकी उम्मीदवारी का पता नहीं लगाया गया है तो उसकी उम्मीदवारी को बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया जा सकता है;

6.3 ऑनलाइन फॉर्म भरते समय एक घोषणा के लिए उम्मीदवारों को सहमत होना होगा कि "मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि उपरोक्त, स्थान वरीयता का विवरण, केवल सूचना के उद्देश्य से मांगा जा रहे हैं। उम्मीदवार की मेरिट सूची रैंक के आधार पर, एनएचएम, म.प्र. के अधिकारियों द्वारा नौकरी की पोस्टिंग का निर्णय लिया जाएगा। मैं उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से या स्थानों के अपने विवेक और उपलब्धता के अनुसार एनएचएम, म.प्र. द्वारा निर्धारित पोस्टिंग के स्थान का पालन करने के लिए पूरी तरह सहमत हूँ।"

9. दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया:

(क) शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन आवंटित जिलों में **संबंधित मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएमएचओ)** द्वारा किया जाएगा;

(ख) शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र (व्यक्तिगत, शिक्षा, अनुभव, आदि) भरते समय पूछे गए थे;

(ग) शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जिसके पास विज्ञापन में अपेक्षित **ToR** के अनुसार आवश्यक क्रेडेंशियल/ दस्तावेज/ अनुभव नहीं हैं, उन्हें चयन के लिए रद्द माना जाएगा;

(घ) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के समय दी गई घोषणा के अनुसार तथ्यों की गलत व्याख्या के लिए भी उम्मीदवारों को अयोग्य माना जाएगा;

(ङ) जो उम्मीदवार निर्धारित समय अवधि के भीतर आवंटित स्थान पर रिपोर्ट नहीं करेंगे, उन्हें पद कार्यग्रहण करने के लिए कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, और पद मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्रदान किया जाएगा।

१०. अन्य निर्देश और दिशानिर्देश:

१०.१ चयनित उम्मीदवारों को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/ परिचय पत्र, प्रस्ताव पत्र, मूल और जेरोक्स कॉपी को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है

(क) १०वीं या माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक और उम्मीदवारों के सभी उत्तीर्ण किये हुए पाठ्यक्रम की वार्षिक/ सेमेस्टर वार मार्क शीट

(ख) नवीनतम पासपोर्ट साइज की दो तस्वीरें;

(ग) मध्य प्रदेश के उप मंडल अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति का प्रमाण पत्र;

(घ) स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र / अधिवास प्रमाण पत्र;

(ङ) नवीनतम चिकित्सा फिटनेस प्रमाणपत्र, प्रस्ताव पत्र जारी करने की तारीख से १५ दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए;

(च) **संविदा महिला पोषक प्रशिक्षक** के चयन के लिए, ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिलिपि, एडमिट कार्ड की मूल और स्व-सत्यापित प्रतिलिपि;

(छ) उपरोक्त प्रमाणपत्र/ दस्तावेजों में से किसी के अभाव में उम्मीदवारों को पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा और इसके लिए किसी भी प्रतिनिधित्व का स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ज) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निर्धारित छुट्टी के नियम अपरेंटिस/ आंतरिक संविदा महिला पोषक प्रशिक्षक के लिए लागू होंगे;

(झ) गर्भवती उम्मीदवार के लिए, जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र कार्यग्रहण के समय पर लागू होगा, और उपरोक्त प्रमाणपत्र जमा करने पर ही कार्यग्रहण सुनिश्चित किया जायेगा।

(ञ) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2 जुलाई 2019 के अनुसार लोक सेवा केंद्र से जारी आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा

(ट) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 07-11/2019/आप्र/1/दिनांक 29 जून 2021 जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) के प्रमाण की संदर्भ में परिपत्र की कंडिका 8.6 का पालन सुनिश्चित किया जाना है।

११. चयन प्रक्रिया के सफल समापन के बाद, और संविदा महिला पोषक प्रशिक्षक के रूप में नियुक्ति के बाद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नियमों का निर्धारण और व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकारी होगा।

१२. चयन प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार:

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चयन के किसी भी समय नियमों और प्रक्रिया में संशोधन करने का अधिकार आरक्षित रखता है। ऐसा कोई भी संशोधन मान्य और बाध्यकारी होगा। **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन** आवश्यकता अनुसार पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है। **मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश** को बिना कारण बताये किसी भी आवेदन को/ सम्पूर्ण प्रक्रिया को स्थगित/ निरस्त करने का अधिकार होगा।

१३. परिभाषाएँ:

१३.१ "चयन परीक्षा" का अर्थ **संविदा महिला पोषक प्रशिक्षक** के लिए चयन प्रक्रिया का संदर्भ है;

१३.२ **आरक्षित श्रेणी का अर्थ:-** पांच श्रेणियों से उम्मीदवार, उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी); या मध्य प्रदेश की राज्य आरक्षण नीति के अनुसार।

संविदा महिला पोषण प्रशिक्षक

कार्यावधि – प्रातः 9:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक (प्रतिदिन)

कार्यदायित्व

- पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती गंभीर कुपोषित बच्चे का निर्धारित मापदण्डानुसार उपचार सुनिश्चित करना।
- भर्ती बच्चे का वजन प्रतिदिन सुबह निर्धारित समय पर लेना। पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती हेतु एवं भर्ती उपरांत प्रतिदिन की जाने वाली समस्त Anthropometric मापन अनिवार्यतः करना।
- माताओं को पोषण पुनर्वास केन्द्र एवं घर पर पोषण आहार, बच्चे की देखभाल, स्वास्थ्य एवं साफ सफाई करने संबंधित विषयों पर प्रतिदिन परामर्श सत्र आयोजित कर सलाह देना।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आषा एवं आषा सहयोगीनी से समन्वय स्थापित कर पोषण पुनर्वास केन्द्र से छूटटी प्राप्त बच्चों का सी-सैम कार्यक्रम में फॉलोअप करना।
- पोषण पुनर्वास केन्द्र से डिफॉल्टर लामा/नॉन रिस्पाडर वाले गंभीर कुपोषित बच्चों का भी सी-सैम कार्यक्रम में फॉलोअप करना।
- अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित कर पोषण पुनर्वास केन्द्र की बेड आक्यूपेंसी शत-प्रतिशत सुनिश्चित करना।
- ओ.पी.डी के दौरान स्वास्थ्य संस्था की ओ.पी.डी/आई.पी.डी में प्रतिदिन जाकर गंभीर कुपोषित बच्चों की स्क्रीनिंग एवं रेफरल सुनिश्चित करना।
- प्रतिदिन पी.एन.सी. वार्ड में जाकर, ऐसे नवजात शिशु जिनका वजन 2.5 कि.ग्रा. से कम है उनकी माताओं आई.वाय.सी.एफ पद्धति पर परामर्श देना एवं यदि संभव हो तो सप्लीमेन्ट्री तकनीक द्वारा माताओं के स्तनपान की समस्याओं का निदान सुनिश्चित करना।

थैराप्यूटिक आहार योजना बनाने एवं भोजन खिलाने संबंधित कार्य

- प्रत्येक बच्चे के वजन और स्थिति के अनुसार प्रतिदिन थैराप्यूटिक आहार तय करना।
- 24 घंटे के फूड इन्टेक चार्ट की समीक्षा कर अगले दिन के थैराप्यूटिक आहार की योजना बनाना।

पोषण पुनर्वास केन्द्र के अभिलेख संधारण एवं प्रलेखन संबंधित कार्य :

- हर दिन नियत समय पर प्रत्येक बच्चे का वजन लेकर माँ को बतलाना, उसे परामर्श देना एवं केस शीट में प्रतिदिन प्रविष्टि करना।
- पोषण पुनर्वास केन्द्र से संबंधित समस्त अभिलेख एन.आर.सी. रजिस्टर एवं केस शीट में संधारित करना।
- एन.आर.सी. एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर में भर्ती बच्चों की जानकारी प्रतिवेदित करना एवं गुणात्मक विषलेषण करना।

प्रबंधन संबंधित कार्य :

- सफाईकर्मी द्वारा रसोई घर, षौचालय/स्नान-घर, वार्ड एवं कम्पाउन्ड की साफ सफाई सुनिश्चित कराना।
- पदस्थ स्टाफ का सुपरविजन कर सुनिश्चित करना कि भर्ती बच्चों को सभी आहार, सूक्ष्म पोषक तत्व, दवाईयां एवं टीकाकरण की सुविधा प्राप्त हो।
- पोषण पुनर्वास केन्द्र से संबंधित समस्त सामग्री का लेखा जोखा एवं उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- नर्स, रसोइया, केयर टेकर एवं स्वीपर के कार्यों की सकारात्मक निगरानी करना एवं ससमय क्षमता वर्धन करना।